हारत झासा।

स्वच्छ झासा।

झाँसी नगर निगम, झाँसी
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com Office Contact No:0510-2332097

संख्या 102 /न0नि0/न0आ0/न0नि0/2024–25 दिनांकः 28/06/2024

अधिसूचना
RSA/ERSU के गठन की घोषणा

- शासन के पत्र संख्या–पी.एम.यू./10104/510(1)/ 2023 दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से समस्त जिलाधिकारी को अपने जनपद का Responsible Sanitation Authority नामित किया गया है। उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय, झाँसी जनपद झाँसी के Responsible Sanitation Authority के रूप में कार्यरत है।
- निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय–ए निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–14/12/2017–एसबीएम–1 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) का गठन निम्नानुसार किया गया है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नं0
01.	डॉ0 धीरेन्द्र गुप्ता	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	8181949555
02.	श्री राजेन्द्र कुमार	जोनल सैनेटरी अधिकारी	9411435341
03.	श्री प्रदीप कुमार अग्निहोत्री	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	6393781675
04.	श्री महेश	सैप्टिक टैंक सुपरवाईजर	9453854626
05.	श्री तरसेम चौधरी	सैप्टिक टैंक/सफाई कर्मी	8225860564
06.	श्री रामू	सैप्टिक टैंक/सफाई कर्मी	9935550825
07.	श्री शुभम	सैप्टिक टैंक/सफाई कर्मी	9140278315

उपरोक्तानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) नगर क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सीवर/सैप्टिक टैंक सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी।

फीकल स्लज एण्ड सैप्टेज प्रबन्धन

- नगर निगम, झाँसी सीमान्तर्गत समस्त सैप्टिक टैंकों का निर्माण IS 2470 के अनुरूप किया जायेगा।समस्त सैप्टिक टैंकों के निस्तारण में लगे सभी सफाई मित्र बिना सैफ्टी गियर (सुरक्षा उपकरण) के सीवर/सैप्टिक टैंकों में कार्य करते पाये जाने पर सफाई मित्र, सीवर सैप्टिक टैंकों वाहन स्वामी, वाहन/व्यवसायिक आवास स्वामियों के खिलाफ नगर निगम, झाँसी द्वारा विधित प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016

- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्ध नियमावली–2016 के अन्तर्गत अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम झाँसी के समस्त सम्मानित नागरिकों के भवन/भू स्वामियों से अपील की जाती है कि वे अपने भवनों की मरम्मत या नव भवन के दौरान निकलने वाले मलवे (Construction and Demolition Waste) को सार्वजनिक स्थलों पर न फेंके बल्कि नगर निगम झाँसी के हैल्पलाईन नम्बर–0510–3500700 नगर निगम झाँसी कण्ट्रोल रूम में मलवा हटाये जाने हेतु सूचित करें। नगर निगम झाँसी द्वारा यूजर चार्ज प्रति ट्रिप रू0 1000/– प्रति डम्पर मात्र निर्धारित किया गया है यदि किसी भवन/भू–स्वामी द्वारा खुले में मलवा फेंका जाता है तो उसका यह कृत्य सी0एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 के आदेशों का उल्लंघन है यदि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो नगर निगम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 की अंकन रू. 500/– का अर्थदण्ड लगाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिनका समस्त उत्तरदॉयित्व सम्बन्धित भवन (भू–स्वामी) का होगा।

शेष क्रमशः......2 पर

Scanned with OKEN Scanner

जीरो वेस्ट इवेन्ट के आयोजन सम्बन्धी (एस.ओ.पी.)

- किसी भी आकार की प्लास्टिक की पानी की टंकी बोतलों और प्लास्टिक के कप या गिलास के बजाय केवल बोतल पुनः प्रयोज्य या बॉयोडिग्रेडेबल पर्यावरण के अनुकूल पीने के कप का उपयोग करें।
- कार्यक्रम के दौरान कहीं भी प्लास्टिक से बने फूलों/सजावट का उपयोग करने से बचें।
- केवल बॉयो डिग्रेडेबल/पुनः प्रयोज्य प्लेटों और कटलरी (जैसे–कागज, स्टील, बोन चाइना आदि) का उपयोग करें।
- कचरे के उचित निपटान के लिये पूरे आयोजन स्थल पर आसानी से सुलभ स्थानों पर हरे और नीले रंग के कूड़ेदान रखना सुनिश्चित करें।
- आश्रय स्थलों पर बचे हुये भोजन के वितरण के लिये स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ गठजोड़ करें या साईट पर ही मोबाइल कम्पोस्टिंग की व्यवस्था करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी भोजन की बर्वाद न हो।
- उपहारों और तोहफों में गंदगी और बर्बादी को रोकने के लिये बहुस्तरीय रैपिंग पेपर रिबन आदि के उपयोग से बचें।
- जहाँ भी सम्भव हो स्पष्ट संकेत लगाए कि यह आयोजन शून्य अपशिष्ट आयोजन है, ताकि प्रतिभागियों/अतिथियों को योगदान देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स (संशोधित)–2021 प्रतिबंधित प्लास्टिक अधिसूचना

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 अधिसूचना दिनांक 12.07.2021 के धारा 4(क) (ii) (ख) के अन्तर्गत 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक युक्त ईअर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक आईसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावट सामग्री, प्लेटे, कप गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, है एवं मिठाई के डिब्बों में लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पीवीसी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। अतएव नगर निगम झाँसी सीमान्तर्गत समस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित समस्त उपयोगकर्ताओं विनिर्माणकर्ताओं, विक्रयकर्ताओं, वितरण भण्डारण, परिवहन, आयात, निर्यातकर्ताओं से अपील की जाती है कि सन्दर्भित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पूर्णतः बन्द करो अन्यथा सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत शमन शुल्क वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(सत्य प्रकाश)
नगर आयुक्त
नगर निगम, झाँसी

पृष्ठांकन दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– सम्पादक दैनिक भास्कर, अमर उजाला .... झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना का प्रकाश आगामी अंक के मुख पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में 10 के फॉन्ट में प्रकाशित कर बिल तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

(सत्य प्रकाश)
नगर आयुक्त
नगर निगम, झाँसी

Scanned with OKEN Scanner

हस्से से दूसरे चली गई। उस लोग फोरकोर्ट पर अचानक गिरती क्षति होती। कोर्ट पर तेज वर्षा . कार क्षतिग्रस्त : जबलपुर स्थित डुमना तेज वर्षा के कारण कैनोपी (एक तरह की कृत्रिम छत) फट गई। कैनोपी में भरा पानी तेज नीचे खड़ी कार की छत , जिससे कार क्षतिग्रस्त । इससे कार में बैठे चालक कुमार को चोट आई। दौर से जबलपुर पहुंच रहे कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर मूर्ति कृष्णा को लेने पहुंचा था र कैनोपी के नीचे कार खड़ी कर क्षा कर रहा था।

कलने के बाद किसी तरह की समस्या होगी, ऐसी आशंका लत को नहीं है। कांग्रेस नेता ल गांधी ने हेमंत सोरेन से फोन बात करके उनको जेल से बाहर की शुभकामनाएं दीं। वहीं हेमंत न ने कहा कि मुझे झूठे आरोप में कर पांच माह जेल में बिताने पर र किया गया। कोर्ट ने कहा कि ने को देखने के बाद हेमंत का या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन धिग्रहण और कब्जे में शामिल की बात साबित नहीं हो रही है। भी रजिस्टर, राजस्व रिकार्ड त भूमि के अधिग्रहण और में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष री का कोई संकेत नहीं है।

निर्धारित करता है।

लिये भारतीय रेल की वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर देखें। 1116/24 FA

लवे G20

दिनांक: 26.06.2024

, झाँसी, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रों से निम्नलिखित कार्य के लिये

में पीओएच/एसएस-2/एसएस-3 4B के कोचों पर पेंटिंग का कार्य।

(रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख र्य पूर्ण करने की अवधि: 12 माह,

द होगी एवं भारतीय रेलवे की 2. निविदा की संपूर्ण जानकारी ww.ireps.gov.in को देखें। टेण्डर सूचना संबंधी किसी भी तीय रेलवे की ई-टेण्डरिंग की में कोई सूचना नहीं दी जायेगी

1116/24 FA

हरित झाँसी **स्वच्छ झाँसी**

झाँसी नगर निगम, झाँसी
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

संख्या : 102/न.नि./न.आ./2024-25 दिनाँक : 28.06.2024

RSA/ERSU_ के गठन की घोषणा/ अधिसूचना

- शासन के पत्र संख्या- पी.एम.यू./10104/510 (1)/ 2023 दिनाँक 09.04.2024 के माध्यम से समस्त जिलाधिकारी को अपने जनपद का Responsible Sanitation Authority नामित किया गया है। उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय, झाँसी जनपद झाँसी के Responsible Sanitation Authority के रूप में कार्यरत है।
- निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-ए निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं.- 14/12/2017- एसबीएम-1 दिनाँक 14 फरवरी, 2020 के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) का गठन निम्नानुसार किया गया है ।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नं.
01.	डॉ. धीरेन्द्र गुप्ता	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	8181949555
02.	श्री राजेन्द्र कुमार	जोनल सैनेटरी अधिकारी	9411435341
03.	श्री प्रदीप कुमार अग्निहोत्री	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	6393781675
04.	श्री महेश	सैप्टिक टैंक सुपरवाईजर	9453854626
05.	श्री तरसेम चौधरी	सैप्टिक टैंक/ सफाई कर्मी	8225860564
06.	श्री रामू	सैप्टिक टैंक/ सफाई कर्मी	9935550825
07.	श्री शुभम	सैप्टिक टैंक/ सफाई कर्मी	9140278315

उपरोक्तानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) नगर क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सीवर/ सैप्टिक टैंक सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी।

फीकल स्लज एण्ड सैप्टेज प्रबन्धन

- नगर निगम, झाँसी सीमान्तर्गत समस्त सैप्टिक टैंकों का निर्माण IS 2470 के अनुरूप किया जायेगा। समस्त सैप्टिक टैंकों के निस्तारण में लगे सभी सफाई मित्र बिना सैफ्टी गियर (सुरक्षा उपकरण) के सीवर/ सैप्टिक टैंकों में कार्य करते पाये जाने पर सफाई मित्र, सीवर सैप्टिक टैंकों वाहन स्वामी, वाहन/ व्यवसायिक आवास स्वामियों के खिलाफ नगर निगम, झाँसी द्वारा विधित प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016

- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्ध नियमावली-2016 के अन्तर्गत अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम, झाँसी के समस्त सम्मानित नागरिकों के भवन/ भू स्वामियों से अपील की जाती है कि वे अपने भवनों की मरम्मत या नव भवन के दौरान निकलने वाले मलवे (Construction and Demolition Waste) को सार्वजनिक स्थलों पर न फेंके बल्कि नगर निगम, झाँसी के हैल्पलाईन नम्बर- 0510-3500700 नगर निगम, झाँसी कण्ट्रोल रूम में मलवा हटाये जाने हेतु सूचित करें। नगर निगम, झाँसी द्वारा यूजर चार्ज प्रति ट्रिप रू. 1000/- प्रति डम्पर मात्र निर्धारित किया गया है। यदि किसी भवन/ भू-स्वामी द्वारा खुले में मलवा फेंका जाता है तो उसका यह कृत्य सी.एण्ड डी. वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के आदेशों का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है। तो नगर निगम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017 की अंकन रु. 500/-का अर्थदण्ड लगाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिनका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित भवन (भू-स्वामी) का होगा।

जीरो वेस्ट इवेन्ट के आयोजन सम्बन्धी (एस.ओ.पी.)

- किसी भी आकार की प्लास्टिक की पानी की टंकी, बोतलों और प्लास्टिक के कप या गिलास के बजाय केवल बोतल पुन: प्रयोज्य या बॉयोडिग्रेडेबल पर्यावरण के अनुकूल पीने के कप का उपयोग करें।
- कार्यक्रम के दौरान कहीं भी प्लास्टिक से बने फूलों/ सजावट का उपयोग करने से बचें।
- केवल बॉयो डिग्रेडेबल/ पुन: प्रयोज्य प्लेटों और कटलरी (जैसे कागज, स्टील, बोन चाइना आदि) का उपयोग करें।
- कचरे के उचित निपटान के लिये पूरे आयोजन स्थल पर आसानी से सुलभ स्थानों पर हरे और नीले रंग के कूड़ेदान रखना सुनिश्चित करें।
- आश्रय स्थलों पर बचे हुये भोजन के वितरण के लिये स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ गठजोड़ करें या साईट पर ही मोबाइल कम्पोस्टिंग की व्यवस्था करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी भोजन की बर्बादी न हो।
- उपहारों और तोहफों में गन्दगी और बर्बादी को रोकने के लिये बहुस्तरीय रैपिंग पेपर रिबन आदि के उपयोग से बचें।
- जहाँ भी सम्भव हो स्पष्ट संकेत लगाएं कि यह आयोजन शून्य अपशिष्ट आयोजन है, ताकि प्रतिभागियों/ अतिथियों को योगदान देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- **प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स (संशोधित)- 2021 प्रतिबंधित प्लास्टिक अधिसूचना**
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 अधिसूचना दिनाँक 12.07.2021 के धारा 4 (क) (ii) (ख) के अन्तर्गत 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक युक्त ईअर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैण्डी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावट सामग्री, प्लेटें, कप गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू है एवं मिठाई के डिब्बों में लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पीवीसी का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। अतएव नगर निगम, झाँसी सीमान्तर्गत समस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित समस्त उपयोगकर्ताओं, विनिर्माणकर्ताओं, विक्रयकर्ताओं, वितरण भण्डारण, परिवहन, आयात, निर्यातकर्ताओं से अपील की जाती है कि सन्दर्भित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पूर्णत: बन्द करो अन्यथा सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत शमन शुल्क वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

सत्य प्रकाश
नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, झाँसी

Scanned with OKEN Scanner